चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 13.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 13.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 13.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में साइबर अपराध से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया साथ ही समस्त कर्मियों को थाना स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने,उनके त्वरित निस्तारण एवं हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रजिस्टर, शिकायतों के निस्तारण की स्थिति एवं प्राप्त प्रकरणों के अद्यतन अभिलेखों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।
इस दौरान प्रभारी निरीक्षक साइबर/मीडिया सेल श्री निशिकान्त राय ,पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार सिंह, आरक्षी साइबर सेल प्रशान्त कुमार एवं अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे।
(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 13.08.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 5109/09 धारा 25 A एक्ट के आरोपी अभियुक्त पिन्टू गौतम पुत्र नर्मदा प्रसाद निवासी कादरगंज थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व प्रत्येक को 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 43/2025 धारा 64(1),127(2),115(2),351(3),333 बीएनएस व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त राजेश पटेल उर्फ अभिषेक पुत्र राकेश निवासी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय
2. आरक्षी विजय पटेल
3.चालक मुख्य आरक्षी सज्जन सिंह

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी अजय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एण्टी डकैती कोर्ट द्वितीय/अपर सत्र न्यायाधीश श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं आज दिनांक 13.08.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2016 धारा 452,386,323,427,504,506 भादवि0 व 12/14 डीए एक्ट के आरोपी अभियुक्त छोटू उर्फ छुटवा कोल पुत्र चन्द्रपाल कोल निवासी निही थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 06 वर्ष का कारावास व 9000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय चित्रकूट सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनांक 13.08.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 NIL/2011 धारा 41/411,414भादवि0 के आरोपी अभियुक्त पिंटू गौतम पुत्र नर्वदा प्रसाद निवासी विकास नगर कपसेठी चौकी सीतापुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 7000/रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 13.08.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 976/09 धारा 324,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त ठटटा उर्फ शिवनरेश पुत्र चुनुवा निवासी बेराउर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व प्रत्येक को 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). आज दिनाँक 13.08.2024 को स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत चलाये जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल की उपस्थिति में कर्वी शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गयी। इस तिरंगा यात्रा का कोतवाली कर्वी से प्रारम्भ होकर धनुष चौराहा से पुरानी कोतवाली होते हुए धुस मैदान से एलआईसी तिराहा होते हुये वापस धनुष चौराहा पर समापन किया। इस दौरान आमजनमानस में देश भक्ति की भावना जागृत की गयी।

इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रीमती नीलू मैनवाल द्वारा आज दिनाँक 13.08.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2012 धारा 504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त पंचा पुत्र महादेव निवासी ममसी बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

(11). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी मनीष यादव तथा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू कोर्ट श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 13.08.2025 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 406/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. चुक्की यादव उर्फ छोटू यादव निवासी बरूई मजरा रुक्मा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा 2. मुन्ना उर्फ मु पुत्र देशराज निवासी बिलगांव थाना बिसंडा जनपद बांदा 3.कल्लू यादव उर्फ सुग्गा पुत्र अलहा यादव निवासी पिपरौहा टोला मजरा बेलहरी ददरी माफी थाना बहिलपुरवा 4. लल्लू यादव पुत्र भल्लर यादव निवासी जमुनिहाई थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट 5.नत्थू यादव रामखेलावन यादव निवासी कटका थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।